



दिनांक 04.12.2022

प्रेस विज्ञप्ति 04 / 2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना धूमनगंज

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
- 39 हजार 800 रुपये नगद
- चोरी की 01 लाइसेन्सी डी0बी0बी0एल0 बन्दूक 12 बोर, 03 जीवित कारतूस
- चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण व 50 ग्राम सोना बरामद

दिनांक 04.12.2022 को थाना धूमनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भागल पुरवा के पास से 06 अभियुक्तों 1-अनिल कुमार 2-रंजीत कुमार उर्फ लोकमान्य 3-राजन उर्फ राजेन्द्र 4-राजेन्द्र उर्फ बाके 5-नीरज उर्फ कातिया 6-सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 39 हजार 800 रुपये नगद, चोरी की 01 लाइसेन्सी डी0बी0बी0एल0 बन्दूक 12 बोर, 03 जीवित कारतूस, चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण व 50 ग्राम सोना बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.11.2022 को थाना धूमनगंज क्षेत्रान्तर्गत चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धूमनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अनिल कुमार निवासी भागलपुरवा बेगम सराय थाना धूमनगंज प्रयागराज।
- 2-रंजीत कुमार उर्फ लोकमान्य निवासी मुण्डेरा मण्डी थाना धूमनगंज प्रयागराज।
- 3-राजन उर्फ राजेन्द्र निवासी भागलपुरवा थाना धूमनगंज प्रयागराज।

4—राजेन्द्र उर्फ बाके निवासी भागलपुरवा बेगम सराय थाना धूमनगंज प्रयागराज ।

5—नीरज उर्फ कातिया निवासी पीपल गांव थाना धूमनगंज प्रयागराज ।

6—सुशील कुमार निवासी जान्सनगंज घण्टाघर थाना कोतवाली प्रयागराज ।

बरामदगी

1—39 हजार 800 रूपये नगद ।

2—चोरी की 01 लाइसेन्सी डी0बी0बी0एल0 बन्दूक 12 बोर, 03 जीवित कारतूस ।

3—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण व 50 ग्राम सोना ।

जनपद बाराबंकी/थाना कोठी

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट का मोबाइल फोन
- 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 04.12.2022 को थाना कोठी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भानमऊ—गंगागज रोड़ इब्राहिमाबाद जाने वाले मोड़ के पास से 04 अभियुक्तों 1—अनिल कुमार 2—शुभम 3—वीरेन्द्र उर्फ राजारावत 4—कुलदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.08.2022 को थाना कोठी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोठी पर मु0अ0सं0 414/2022 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की

गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अनिल कुमार निवासी मिर्जापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
- 2—शुभम निवासी बरकतनगर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
- 3—वीरेन्द्र उर्फ राजारावत निवासी बरकतनगर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
- 4—कुलदीप कुमार निवासी बरकतनगर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

- 1—लूट का मोबाइल फोन।
- 2—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस।
- 3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा नगर

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस
 - 02 मोबाइल फोन, नगद रूपया
 - 01 होण्डा सिटी कार आदि बरामद

दिनांक 03.12.2022 की रात्रि थाना अमरोहा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैलशा बाईपास बाग के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—कासिफ 2—सारिक को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी

गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 02 मोबाइल फोन, नगद रूपया, 01 होण्डा सिटी कार आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-कासिफ निवासी शाह अली सराय जट बाजार थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।
- 2-सारिक निवासी सहबका सराय थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

बरामदगी

- 1-02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।
- 2-02 मोबाइल फोन, नगद रूपया।
- 3-01 होण्डा सिटी कार आदि।

➤ जनपद भदोही (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 11 करोड़ 55 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद भदोही पुलिस ने अभियुक्त विजय कुमार मिश्र पुत्र स्व०रामदेव मिश्र निवासी खपटिहा थाना हण्डिया प्रयागराज, हालपता कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही द्वारा अपने परिजन के नाम अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 11 करोड़ 55 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

➤ जनपद गोरखपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद गोरखपुर पुलिस ने अभियुक्त 1—भोला उर्फ अखिलेश 2—गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्रगण स्व0महेश 3—नीरज पुत्र स्व0 पंचदेव निवासीगण भिटहा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 50 लाख रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
